96

संख्या–1770 / II–2012–03(13)/2013

प्रेषक,

कुणाल शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 06 जून, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोजनागत मदों में धनावंटन–जिला योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या 6258/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 05.06.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2013–14 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जिला योजना हेतु **संलग्नक–1** मे अंकित विवरणानुसार **अनुदान संख्या–20** में ₹ 175.91 लाख (₹ एक करोड़ पिचहत्तर लाख इक्यानवे हजार मात्र) **अनुदान संख्या 30** में ₹ 13.85 लाख (₹ तेरह लाख पिचासी हजार मात्र) एवं **अनुदान संख्या–31** के अन्तर्गत ₹ 4.23 लाख (₹ चार लाख तेईस हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि ₹ 193.99 लाख (₹ एक करोड़ तिरानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि व्यय के लिए आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ?

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं बजट प्राविधान जो भी कम हो, के आधार पर की जाय। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....2

(vii) जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(x) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20, 30 एवं 31 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दि0–30.03.2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)
सचिव।

संख्या–770 (1)/II–2013–03(13)/2013,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–770 / II–2013–03(13)/2013, दिनांक 06 जून, 2013 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | नलकूप निर्माण अनुदान सं0–20 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–04–नलकूपों का निर्माण–800–अन्य व्यय–02–अन्य रखरखाव व्यय–0291–नलकूपों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत निर्माण कार्य | नहर निर्माण अनुदान सं0–20 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें–800–अन्य व्यय–02–अन्य रखरखाव व्यय–0291–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें /अन्य योजनायें (जिला योजना)–24–वृहत निर्माण कार्य | नलकूप निर्माण अनुदान सं0–30 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–04–नलकूपों का निर्माण–800–अन्य व्यय–91–अनुसूचित जातियों के लिए नलकूपों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत निर्माण कार्य | नहर निर्माण अनुदान सं0 30 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें–800–अन्य व्यय–91–अनुसूचित जातियों के लिए नहरों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत निर्माण कार्य | नहर निर्माण अनुदान सं0–31 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन नहरें–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–91–अनुसूचित जनजातियों के लिए नहरों का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य | योग सामान्य (अनु0सं0–20) | योग एस0सी0एस0पी0 (अनु0सं0–30) | योग टी0एस0पी0 (अनु0सं0–31) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | हरिद्वार | 82.24 | 93.67 | 13.27 | 0.58 | 4.23 | 175.91 | 13.85 | 4.23 |

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।